संख्या-7/2022/वे0आ0-2-296/दस-2022-124(सामान्य)/2017-18

प्रेषक,

सरयू प्रसाद मिश्र,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वित्त (वेतन आयोग),
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक: 24 जून, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-2023 के अनुदान संख्या-65 के अन्तर्गत गठित समिति/प्रकोष्ठ हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्र संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में वेतन समिति, वित्त विभाग के लिये प्राविधानित धनराशि रू0 104.36 लाख (रूपये एक करोड़ चार लाख छत्तीस हजार मात्र) में से प्रथम चार माहों (अप्रैल, 2022 से जुलाई, 2022 तक) में विभिन्न मदों के व्यय को वहन करने के लिये रू0 34.57 लाख (रूपये चौतीस लाख सत्तावन हजार मात्र) की धनराशि की स्वीकृति शासनादेश संख्या-10-27099/29/2021-28, दिनांक 05 मई, 2022 के द्वारा प्रदान की जा चुकी है। शेष आठ माहों के व्ययों को वहन करने के लिये रू0 69.79 लाख (रूपये उनहत्तर लाख उन्यासी हजार मात्र) की धनराशि राज्यपाल महोदया आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :--

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

उक्त धनराशि का व्यय मदवार ही किया जायेगा। धन का आवंटन ही व्यय के लिये अधिकार प्रदान नहीं करता है, अतः जहाँ कहीं आवश्यक हो, व्यय के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय लेखाशीर्षः 2070001050301 (वेतन समिति का गठन) के नामे डाला जायेगा।

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	65	2070001050301 वेतन समिति का गठन	01 वेतन	33,34,000
2	65	2070001050301 वेतन समिति का गठन	03 मँहगाई भत्ता	12,34,000
3	65	2070001050301 वेतन समिति का गठन	04 यात्रा व्यय	67,000
4	65	2070001050301 वेतन समिति का गठन	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	34,000
5	65	2070001050301 वेतन समिति का गठन	06 अन्य भत्ते	47,000
6	65	2070001050301 वेतन समिति का गठन	07 मानदेय	7,000
7	65	2070001050301 वेतन समिति का गठन	08 कार्यालय व्यय	67,000
8	65	2070001050301 वेतन समिति का गठन	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	67,000
9	65	2070001050301 वेतन समिति का गठन	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	7,000
10	65	2070001050301 वेतन समिति का गठन	13 टेलीफोन पर व्यय	7,000
11	65	2070001050301 वेतन समिति का गठन	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2,67,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

12	65	2070001050301 वेतन समिति का गठन	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	67,000
13	65	2070001050301 वेतन समिति का गठन	18 प्रकाशन	34,000
14	65	2070001050301 वेतन समिति का गठन	29 अनुरक्षण	67,000
15	65	2070001050301 वेतन समिति का गठन	42 अन्य व्यय	34,000
16	65	2070001050301 वेतन समिति का गठन	45 अवकाश यात्रा व्यय	67,000
17	65	2070001050301 वेतन समिति का गठन	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	67,000
18	65	2070001050301 वेतन समिति का गठन	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	67,000
19	65	2070001050301 वेतन समिति का गठन	49 चिकित्सा व्यय	2,00,000
20	65	2070001050301 वेतन समिति का गठन	51 वर्दी व्यय	4,000
21	65	2070001050301 वेतन समिति का गठन	55 मकान किराया भत्ता	2,34,000
22	65	2070001050301 वेतन समिति का गठन	58 आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10,00,000
		कुल		**69,79,000**
		महायोग		**69,79,000**

(रूपये उन्हत्तर लाख उन्यासी हजार मात्र)

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

संख्या-7/2022/वे0आ0-2-296(1)/दस-2022-124-सामान्य-2017-18, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(5) श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव, अपर निदेशक, वित्त, 6, नवीन भवन, उ0प्र0 सचिवालय।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।